उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-3-ई०एम०/2012/का-4-2024
लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी, 2024

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रख्यापित अधिसूचना संख्या-3- ई.एम./2012-का-4-2024 दिनांक 14 फरवरी, 2024 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. प्रमुख सचिव विधान परिषद् / विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7. निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश राज्य के 02 हिन्दी एवं 02 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग - 4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराने के अनुरोध के साथ ।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(शशिकान्त कनौजिया)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-3-ई0एम0/2012/का-4-2024
लखनऊ: दिनांकः 15 फरवरी, 2024

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निम्नलिखित में प्रतिषिद्ध करती हैं-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा; और

(2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।

2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with OKEN Scanner